एस.एच.आर.सी अधिसूचनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह विभाग(पुलिस), अनुभाग-4

अधिसूचना

4 अप्रैल, 1996 ई०

सं० 2254 ख/छः-41996-चूंकि अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव अधिकार आयोग, नई दिल्ली ने उत्तर प्रदेश राज्य में मानव अधिकार आयोग स्थापित करने के लिए सुझाव दिया है, और चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने 9 फरवरी, 1996 को निर्णीत सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 32984 उत्तराखण्ड संघर्ष समिति, मंसूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में राज्य सरकार से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1994) में यथा परिकल्पित राज्य में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करने की अपेक्षा की है, अतएव, अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अध्याय पाँच के अधीन किसी राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, गठन करते हैं।

आज्ञा से,
मोहिन्दर सिंह
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी:- राजपत्र, दिनांक 22-6-96, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूवनार्थ प्रेषित]
पी०एस०यू०पी०-2 सा० (ग्रह)-24-6-96-1,000 (मोनी)